भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4231

दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

ई-कचरा पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना का प्रभाव

4231. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः
श्री मितेश पटेल बकाभाईः
श्री देवुसिंह चौहानः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एमसीएमएम) के अंतर्गत ई-अपशिष्ट और प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य खनिजों के लिए सृजित पुनर्चक्रण क्षमता का ब्यौरा क्या है और प्रमुख पुनर्चक्रणकर्ताओं और स्टार्ट-अप को संवितरित की गई कुल प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर इस योजना के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का उक्त योजना का विस्तार करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (ग): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत, सरकार ने ई-अपशिष्ट, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य स्क्रैप की पुनर्चक्रण क्षमता के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम अनुमोदित की है। स्कीम के दिशानिर्देश जारी किए गए और यह स्कीम दिनांक 02.10.2025 को शुरू की गई। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 01.04.2026 है। यह स्कीम लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ऐसे अन्य खनिजों

के निष्कर्षण के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि इन खनिजों में लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया जा सके।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
